



सत्यमेव जयते


INDIA NON JUDICIAL Government of Uttarakhand

e-Stamp

Certificate No.
 Certificate Issued Date
 Account Reference
 Unique Doc. Reference
 Purchased by
 Description of Document
 Property Description
 Consideration Price (Rs.)
 First Party
 Second Party
 Stamp Duty Paid By
 Stamp Duty Amount(Rs.)

: IN-UK81196641852218S
 : 18-Aug-2020 02:30 PM
 : NONACC (SV)/ uk1201404/ DEHRADUN/ UK-DH
 : SUBIN-UKUK120140465401095722883S
 : UTTARA BANSAL
 : Article Miscellaneous
 : NA
 : 0
 : (Zero)
 : UTTARA BANSAL
 : NA
 : UTTARA BANSAL
 : 100
 : (One Hundred only)

JANARDAN BANSAL
 STAMP VENDOR L.NO.37
 COURT COMPOUND DEHRADUN



Please write type below this line

18-8-2020

Uttara Bansal

आवासीय इकाई हेतु

:- शपथ पत्र :-

(रु० 10 के नॉन ज्यूडिशियली स्टाम्प पेपर पर)

सम्बन्ध- विहित प्राधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवस्था पंजीकरण नियमावली, जनपद Dehradun

मैं/हम Uttara Bansal पुरुष/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती Uttara Bansal स्थाई

पता Dehradun शपथ पूर्वक निम्नलिखित बयान करता/ करती हूँ कि -

- 1- मेरा उपरोक्त नाम व पता सही एवं सत्य है।
- 2- यह कि मेरे द्वारा निजी स्वामित्व की भूमि पर ग्राम/नगर Dehradun तहसील Dehradun जनपद देहरादून में स्क्षम स्तर से अनुमोदित करवाकर इकाई 6 Rooms को निर्मित कर संचालन किया जा रहा है/किया जाना है, जिस पर स्वामित्व अथवा अन्य कोई झगडा व विवाद नहीं है, एवं न ही मा० न्यायालय में भी उक्त से सम्बन्धी कोई विवाद विचाराधीन है। उक्त इकाई को उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवस्था पंजीकरण नियमावली-2014 के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने हेतु ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन किया गया है।
- 3- यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त योजना के संचालन से सम्बन्धित सभी सम्बन्धित विभागों/सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।।
- 4- यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना से सृजित आस्ति/प्रतिष्ठान के क्रियान्वयन/संचालन में पर्यावरण की सुरक्षा/स्वच्छता एवं प्रदूषण नियन्त्रण का विशेष ध्यान रखा जायेगा।
- 5- यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तावित योजना के संचालन के सम्बन्ध में योजनान्तर्गत प्राविधानित सभी विद्यमान एवं समय-समय पर जारी होने वाली शर्तें व नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
- 6- यह कि उक्त पंजीकृत की जाने वाली इकाई में विहित व्यवसाय हेतु दी गयी अनुमति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का व्यवसाय तथा अवैधानिक गतिविधियों का संचालन नहीं किया जायेगा, और न ही व्यवसाय हेतु निर्धारित की गयी दरों से अधिक किराया वसूल किया जायेगा। निर्धारित किराये की दरों को इकाई के स्वागत पटल पर स्पष्ट व बड़े अक्षरों में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।
- 7- यह कि पंजीकृत की गयी इकाई हेतु अधिकृत किये गये व्यवसाय की शर्तों से भिन्न व्यवसाय नहीं किया जायेगा।
- 8- यह कि मेरे/हमारे द्वारा "उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवस्था पंजीकरण नियमावली-2014 प्रथम संशोधन- 2016 में किये गये प्राविधान/नियमों/उप-नियमों/शर्तों को भली भांति पढ लिया गया है, जिस का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जायेगा।

यह कि फ़ैस नं० 01 से 08 तक मेरे संज्ञान में सच व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है यदि इसमें कोई भी तथ्य झूठा पाया जाये तो उत्सकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। ऐसी स्थिति में विहित प्राधिकारी को मेरी/हमारी इकाई का पंजीकरण निरस्त करने का पूर्ण अधिकार विहित प्राधिकारी को होगा, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

आज दिनांक 18/8/2020 को मैं शपथकर्ता उपरोक्त लिखी गई शपथ पत्र की सभी शर्तें सही व सत्य होना कदूल करता हूँ।

Uttara Bansal

हस्ताक्षर शपथकर्ता



This affidavit is sworn before me by
Shri Uttara Bansal
who is known to me by Shri Uttara Bansal
at Dehradun on 18-8-2020

(PADAM SINGH)
Advocate & NOTARY, Dehradun